समाहरणालय, सहरसा
(जिला सामान्य शाखा)
–::आदेश ::–

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 2399 दिनांक 17.06.2015 के प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2015 के अवसर पर सहरसा जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित थाना/ओ०पी० में कार्यक्रम के अनुसार दिनांक– 16.7.2015 से 17.7.2015 तक करने हेतु दण्डाधिकारियों को प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष/ओ०पी० प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करेंगे कि ससमय निर्धारित स्थल पर एवं तिथि पर उपस्थित होकर अपने–अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं कारतूस का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से शत–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उनके अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कार्यक्रम समाप्ति के 24 घंटा के अन्दर निरीक्षण/सत्यापन प्रतिवेदन संबधित अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ०पी० प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला सामान्य शाखा, सहरसा में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रम	प्राधिकृत पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षी पदाधिकारी का स्थल	शस्त्र का प्रकार	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, कहरा	सदर थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
2	अंचलाधिकारी, नवहट्टा	नवहट्टा थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
3	अंचलाधिकारी, सत्तर कटैया	बिहरा थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
4	अंचलाधिकारी, महिषी	महिषी/जलई थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
5	अंचलाधिकारी, सौरबाजार	सौरबाजार थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
6	अंचलाधिकारी, सोनवर्षा	सोनवर्षा/वसनही थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
7	अंचलाधिकारी, पतरघट	ओ०पी० पतरघट	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
8	अंचलाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर	सिमरी बख्तियारपुर थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
9	अंचलाधिकारी, सलखुआ	सलखुआ थाना	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	
10	अंचलाधिकारी, बनमा ईटहरी	ओ०पी० बनमा ईटहरी	रिवाल्वर/पिस्तौल/राईफल/बन्दूक	

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा निर्धारित सत्यापन कार्यक्रम का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्र के माध्यम से भी कार्यक्रम को प्रसारित कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

30/6/15
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
सहरसा।

30.6.2015
जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 864 /सा0 सहरसा दिनांक 04 जून, 2015.

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित थानाध्यक्ष एवं ओ०पी० प्रभारी को निरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु निदेशित करेंगे।

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी अंचलाधिकारी, सहरसा एवं सभी थानाध्यक्ष एवं ओ०पी० प्रभारी सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि शस्त्र/कारतूस निरीक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।

30/6/15
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
सहरसा।

30.6.2015
जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।